26

क्रम-संख्या—187

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 12 अगस्त, 2004

श्रावण 21, 1926 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1213/सात-वि-1—1(क)-24-2004

लखनऊ, 12 अगस्त, 2004

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 पर दिनांक 11 अगस्त, 2004 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2004

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2004)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (ठ) में शब्द "व्यापार कर अधिकारी श्रेणी-दो" के स्थान पर शब्द "व्यापार कर अधिकारी" रख दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (2) में शब्द "निर्माता की स्थिति में एक लाख रुपये और अन्य व्यापारियों की दशा में एक लाख पचास हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "निर्माता की स्थिति में दो लाख रुपये और अन्य व्यापारियों की दशा में तीन लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 7 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (1-ख) में शब्द "दो प्रतिशत प्रतिमास" के स्थान पर शब्द "चौदह प्रतिशत प्रतिवर्ष" रख दिये जायेंगे।

धारा 7-घ का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 7–घ में, स्पष्टीकरण में शब्द "व्यापार कर अधिकारी श्रेणी-दो" के स्थान पर शब्द "व्यापार कर अधिकारी" रख दिये जायेंगे।

धारा 8 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 8 में,–

(क) उपधारा (1) में शब्द "प्रति मास दो प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "चौदह प्रतिशत प्रति वर्ष" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (1-ख) में शब्द "डेढ़ प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "एक प्रतिशत" रख दिए जायेंगे।

धारा 8-ख का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 8-ख में, उपधारा (1) में,–

(क) शब्द "एक लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "दो लाख रुपये" रख दिये जायेंगे; और

(ख) शब्द "एक लाख पचास हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन लाख रुपये" रख दिए जायेंगे।

धारा 8-घ का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 8-घ में, उपधारा (7) में शब्द "अट्ठारह प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "बारह प्रतिशत" रख दिए जायेंगे।

धारा 15 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 15 में, स्पष्टीकरण में शब्द "व्यापार कर अधिकारी श्रेणी–दो" के स्थान पर शब्द "व्यापार कर अधिकारी" रख दिये जायेंगे।

धारा 15-क का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 15-क में उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण में शब्द "व्यापार कर अधिकारी श्रेणी-दो" के स्थान पर शब्द "व्यापार कर अधिकारी" रख दिये जायेंगे।

धारा 18 का संशोधन

11–मूल अधिनियम की धारा 18 में शब्द "निर्माताओं की स्थिति में एक लाख रुपया या अन्य व्यापारियों की स्थिति में एक लाख पचास हजार रुपया", जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "निर्माताओं की स्थिति में दो लाख रुपया या अन्य व्यापारियों की स्थिति में तीन लाख रुपया" रख दिये जायेंगे।

धारा 29 का संशोधन

12–मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (2) में शब्द "अट्ठारह प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "बारह प्रतिशत" रख दिए जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

निर्माताओं और व्यापारियों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 को संशोधित करके निम्नलिखित व्यवस्था की जाय :–

(क) व्यापार कर के उद्ग्रहण के लिए और व्यापारियों के पंजीकरण के लिए मौद्रिक सीमाओं में वृद्धि किया जाना ;

(ख) निर्धारित समय के भीतर स्वीकृत देय कर के भुगतान न किये जाने के और निर्धारित, पुनर्निर्धारित या बढ़ाये गये अन्य कर के सम्बन्ध में ब्याज की दर में कमी किया जाना ;

(ग) नियत समय के भीतर ऐसी धनराशि के वापस न किये जाने के फलस्वरूप जिसके लिए कोई व्यापारी हकदार हो ब्याज की दर में कमी किया जाना ;

2–चूंकि "व्यापार कर अधिकारी श्रेणी-दो" का पद "व्यापार कर अधिकारी" के रूप में पुनर्नामित किया गया है, अतएव यह भी विनिश्चय किया गया है कि व्यापार कर अधिकारी श्रेणी-दो का नाम व्यापार कर अधिकारी के रूप में परिवर्तित करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्मवीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 1213 (2)/VII-V.-1–1(Ka) 24-2004

Dated Lucknow, August 12, 2004

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vyapar Kar (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 11, 2004.

THE UTTAR PRADESH TRADE TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 2004

(U.P. ACT NO. 17 OF 2004)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Trade Tax (Second Amendment) Act, 2004.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 15 of 1948

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (1) *for* the words, "Trade Tax Officer Grade-II" the words "Trade Tax Officer" shall be *substituted*.

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (2) *for* the words "one lakh rupees in the case of manufacturers and one lakh fifty thousand rupees in the case of other dealers" the words "two lakh rupees in the case of manufacturers and three lakh rupees in the case of other dealers" shall be *substituted*.

Amendment of section 7

4. In section 7 of the principal Act, in sub-section (1-B), *for* the words "two per cent per mensum" the words "fourteen per cent per annum" shall be *substituted*.

Amendment of section 7-D

5. In section 7-D of the principal Act, in the Explanation *for* the words "Trade Tax Officer Grade-II" the words "Trade Tax Officer" shall be *substituted*.

Amendment of section 8

6. In section 8 of the principal Act,–

(*a*) in sub-section (1) *for* the words "two per cent per mensum" the words "fourteen per cent per annum" shall be *substituted*.

(*b*) in sub-section (1-B) *for* the words "one and half per cent" the words "one per cent" shall be *substituted*.

Amendment of section 8-B

7. In section 8-B of the principal Act, in sub-section (1),–

(*a*) *for* the words "one lakh rupees" the words "two lakh rupees" shal be *substituted*; and

(*b*) *for* the words "one lakh fifty thousand rupees" the words "three lakh rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 8-D

8. In section 8-D of the principal Act, in sub-section (7) *for* the words "eighteen per cent" the words "twelve per cent" shall be *substituted.*

Amendment of section 15

9. In section 15 of the principal Act, in the Explanation *for* the words "Trade Tax Officer, Grade-II" the words "Trade Tax Officer" shall be *substituted.*

Amendment of section 15-A

10. In section 15-A of the principal Act, in the sub-section (1), in the Explanation *for* the words "Trade Tax Officer Grade-II" the words "Trade Tax Officer" shall be *substituted.*

Amendment of section 18

11. In section 18 of the principal Act, *for* the words "rupees one lakh in case of manufacturers or one lakh fifty thousand rupees in case of other dealers" wherever occurring, the words "rupees two lakh in case of manufacturer or three lakh rupees in case of other dealers" shall be *substituted.*

Amendment of section 29

12. In section 29 of the principal Act, in sub-section (2) *for* the words "eighteen per cent" the words "twelve per cent" shall be *substituted.*

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to give more facilities to manufactures and traders it has been decided to amend the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 to provide for,–

(*a*) increasing the limits of turnover for the levy of trade tax and for the registration of dealers;

(*b*) reducing the rate of interest in respect of non payment of admittedly payable tax and of other tax assessed , reassessed or enhanced, within the prescribed time;

(*c*) reducing the rate of interest on account of non refund of the amount within the stipulated time for which a dealer is entitled to.

2. As the post of "Trade Tax Officer Grade-II" has been renamed as "Trade Tax Officer", it has also been decided to amend the said Act to change the name of Trade Tax Officer Grade-II as the Trade Tax Officer.

The Uttar Pradesh Trade Tax (Second Amendment) Bill, 2004 is introduced accordingly.

By order,

D. V. SHARMA,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 334 राजपत्र (हिन्दी)–2004–(866)–597–(कम्प्यूटर / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 150 सा० विधा०–2004–(867)–850–(कम्प्यूटर / आफसेट)।